भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 276

दिनांक 22 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि

276 श्री संदोष कुमार पीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश भर में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे विरोध अभियानों और हड़तालों से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं की स्वतंत्र जाँच कराने की योजना बना रही है;

(ग) क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): विभिन्न समीक्षा बैठकों और राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठकों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आशा कार्यकर्ताओं के समक्ष आने वाले मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करते है। तथापि, स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक व कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अंतर्गत आते हैं।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा कार्यकर्ताओं) के लिए प्रोत्साहन संरचना को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने के लिए यथा समय प्रोत्साहनों को जोड़कर नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएचएम के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई राशि के टॉप-अप के रूप में राज्य विशिष्ट प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं।

(ग) से (ङ): आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी माना गया है और वे कार्य/कार्यकलाप आधारित प्रोत्साहनों की पात्र हैं। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए

₹3500/- प्रति माह एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हाल ही में 4 मार्च, 2025 को आयोजित मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की 9वीं बैठक में ₹ 2000/- प्रति माह से संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से कुछ को हाल ही में 4 मार्च, 2025 को आयोजित मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की 9वीं बैठक में संशोधित किया गया है। इन आशा प्रोत्साहनों का ब्यौरा निम्नलिखित यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है

https://nhm.gov.in/New-update-2024-25/ASHA/ASHA-Incentives-July-2025.pdf

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद, आशा कार्यकर्ता निगरानी किए गए प्रदर्शन संकेतकों (₹1000 प्रति माह तक) के आधार पर एएनएम के साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) के लिए अतिरिक्त रूप से पात्र हैं। आशा कार्यकर्ता गैर-आर्थिक प्रोत्साहनों जैसे आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा डायरी, ड्रग किट, आशा विश्राम कक्ष आदि के भी हकदार हैं।

सरकार ने 4 मार्च, 2025 को आयोजित मिशन संचालन समूह (एमएसजी) की 9वीं बैठक में हाल ही में ₹20,000/- से संशोधित ₹50,000/- की मान्यता राशि को भी मंजूरी दी है और कम से कम 10 साल तक आशा कार्यकर्ताओ के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान की आभारोक्ति के रूप में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया है।

वर्ष 2018 में, आशा के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज शुरू किया गया था। यह पैकेज के लिए कवरेज प्रदान करता है:

- बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपए के लाभ के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) (भारत सरकार द्वारा अंशदान किया गया वार्षिक प्रीमियम)।
- आकस्मिक मृत्यु या स्थायी अक्षमता के लिए 2 लाख रूपये के लाभ के साथ प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई); आंशिक अक्षमता के लिए 1 लाख रूपये (भारत सरकार द्वारा योगदान किया गया वार्षिक प्रीमियम)।

इसके अतिरिक्त, आशा कार्यकर्ताओं के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000/- प्रतिमाह के पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) भी उपलब्ध है (भारत सरकार द्वारा प्रीमियम का 50% योगदान और लाभार्थियों द्वारा 50%)। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आशा कार्यर्ताओं को परिभाषित पात्रता मानदण्डों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

इसके अलावा, आशा कार्यकर्ताओं को उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान किया जाता है।
